उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला	आजमगढ
तहसील	बुढनपुर
आवेदन क्र०	231910030332943
प्रमाणपत्र क्र०	611233025374

जारी दिनांक: 31/10/2023

प्रमाणित किया जाता है कि	सचिन यादव/sachin yadav
पुत्र/पुत्री	ओमप्रकाश यादव
माता का नाम	उर्मिला यादव
निवासी	,विनोवापुरी
ग्राम	समदी
तहसील	बुढनपुर
जिला	आजमगढ

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **सचिन यादव/sachin yadav** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

सहज जन सेवा केन्द्र, समदी तहसील-बुढनपुर,आजमगढ़

SHAILESH KUMAR Digitally Signed by SHAILESH KUMAR O=Personal, C=IN,CN=SHAILESH KUMAR, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
बुढनपुर,आजमगढ
दिनाँक: 31/10/2023

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की लॉग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।